

Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955. Thousands of journalists belonging to visual media of our country have been doing their job without protection of any legislation enacted based on the specific needs and demands of the industry. In the absence of a specific legislation covering the journalists and non-journalists in visual media, managements of visual media establishments have been violating all principles of parity and justice with impunity while deciding pay scales, other emoluments, appointments, transfers and promotion norms and their service conditions.

I, therefore, request the Government to constitute a new Wage Board after modifying the Terms of Reference of the present Wage Board system, including those who are working on contract appointment basis too. Thank you, Sir.

SHRI RAJMANI PATEL (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Elamaram Kareem.

ST status for *KoL* community in UP

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं, जहाँ कोल जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, जबकि बगल के राज्यों, झारखंड और मध्य प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और केवल दो किलोमीटर दूर स्थित हैं, वहाँ उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है।

मान्यवर, वहाँ की लड़कियों की शादी यदि उत्तर प्रदेश में हो, तो वे अनुसूचित जाति की हो जाती हैं और अगर उनकी शादी मध्य प्रदेश में हो, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है। इसमें बहुत विसंगति है। उन्हें उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा नहीं मिलने से अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है। इलाहाबाद, राँबट्सगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, चन्दौली, बान्दा, ललितपुर और हमीरपुर आदि सब जिलों में कोल जाति के लोग रहते हैं।

मान्यवर, आज़ादी की लड़ाई में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन कालान्तर में इनकी स्थिति बदली और आज ये उत्तर प्रदेश में मजदूरी कर के अपना जीवन-यापन करते हैं। इनकी और मध्य प्रदेश की कोल जाति के लोगों की एक ही तरह की जीवनचर्या है। मान्यवर, इतिहास संस्थान के निदेशक Chittabrata Palit द्वारा लिखित पुस्तक, *Situating Tribals in Indian History* में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार कैबिनेट से पास करके, उत्तर प्रदेश विधान सभा से पास करके, यहाँ भेजा था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे कृपया करके इसका संज्ञान लें और इनको जनजाति का दर्जा दिलाने की घोषणा करने की कोशिश करें।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: One minute, please. ...*(Interruptions)*... Are you all right? ...*(Interruptions)*... Mr. Suresh, you are from this side. You tried to go to that side, that is why this happened. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Rakesh Sinha.

Pension for university teachers

श्री राकेश सिन्हा (नाम-निर्देशित): सभापति महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दे की ओर सदन का और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु संपूर्ण दुनिया में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शिक्षकों के साथ जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ।

सभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के लगभग 600 शिक्षक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अभी पेंशन नहीं मिल रही है। इनमें से कई शिक्षकों ने 25 वर्ष, 30 वर्ष तक काम किया है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से उनकी पेंशन फिक्स नहीं हो पा रही है। मैं ऐसे लगभग 6 शिक्षकों को जानता हूँ, जिनका निधन हो गया और उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई। इतनी असंवेदनशीलता का कारण नौकरशाही के द्वारा पैदा की गई कुछ समस्या है। बात-बात में ऑडिटर और नौकरशाही उनकी पे फिक्सेशन में समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे को जल्दी निबटाया जाए। उनका जो मसला ड्यू है, उनकी जो अपेक्षा है, उसके अनुसार शिक्षकों की पेंशन फिक्स की जाए और ये जो 600 शिक्षक हैं, जो 30 वर्षों की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और आज भी पेंशन की आशा में बैठे हुए हैं, जिनमें से कई लोग बीमार हैं, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर त्वरित कार्यवाही करेगा और इन शिक्षकों की पेंशन निर्धारित करेगा, धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।